[illegible]
gems no. 2017/66669
[illegible]

— : : आदेश : : —

यत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनों को लाने व ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थी के खेत ख.न. 325 के लिए ग्राम बटवाड़ी तहसील जायल के खसरा न. 323, 324, 326/1 में से प्रकरण हाजा में प्राप्त भू.अ. निरीक्षक मौका रिपोर्ट (मार्फत तहसीलदार जायल) पत्रांक भू.अ./2020/1677 दिनांक 08.07.2020 संलग्न नजरी नक्शा में तकमीना अनुसार डोटेट मार्क रिपोर्ट जिसे अप्रार्थी द्वारा उपरोक्तानुसार रास्ता घोषित नहीं हो इसलिए क्रमागत रूप से छोटा कमरा, टांका निर्माण किया गया है के स्थान पर न्यायालय हाजा द्वारा सुमोटो से नक्शा में प्रदर्शित हो रहे खसरा नम्बर 326 एंव 326/1 के मध्य की सींव माट पर 326/1 में उत्तरी तरफ सींव के किनारे–किनारे ख.न. 175/265 गैर मुमकीन रास्ता (बटवाड़ी – खियाला कंटाणी मार्ग) तक लम्बाई मौकानुसार एंव चौड़ाई अधिकतम 15 फीट तक स्वीकृत/ घोषित किया जाता है।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे उक्त ग्राम – बटवाड़ी तहसील जायल के ख.न. 326/1 में रास्ते में से उपयोग/उपभोग हेतु आने वाली भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा राशि माफिक निर्णयानुसार प्रभावित रकबा आकलन कर प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदानुसार तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01/12/2021 मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

01/12/2021
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

Scanned with CamScanner